

# टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/65

लागू तिथि 8.8.2014

रोशनपुर स्टेशन पर दोनो ओर के डिस्टेन्ट सिगनल आस्पैक्ट में परिवर्तन के सम्बन्ध में रोशनपुर स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/65 दिनांक 01.12.2011की संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनांक 10.6.2014

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

## (क) सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 2 पैरा 2.5.1 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 7 पैरा 4.3 एवं 4.4 जोड़कर संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 18 पैरा 3 संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 1 परिशिष्ट 'ड' संशोधित

## (ख) सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 2 पैरा 3 संशोधित
3. आर0डी0 सं0 4 दिनांक 4.11.2006 Alt"B" दिनांक 3.11.2011 को आर0डी0 सं0 4 दिनांक 4.11.2006 Alt"C" दिनांक 29.4.2014 द्वारा बदल दिया गया।

(रितेश गुप्ता)  
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी0  
इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा0)  
इज्जतनगर

# टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/65

लागू तिथि 16.04.13

रोशनपुर स्टेशन संचालन नियम में समपार 18 ए/बी के अनुदेशों में सुधार के सम्बन्ध में रोशनपुर स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/65 दिनांक 01.12.2011की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 01.04.2013

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

## सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 7 पैरा 6 (1)(ख) संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 8 पैरा 6 (1) (ड़) संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 6.5 (ख) संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 13 एवं 14 पैरा 7 संशोधित
6. परिशिष्ट 'ध' पृष्ठ संख्या 1 व 2 मद संख्या 12 संशोधित
7. परिशिष्ट 'ड़' पृष्ठ संख्या 1 संशोधित

## सिगनलिंग परिशिष्ट :-

- 1.परिशिष्ट 'क' गेट संख्या 18ए/बी पृष्ठ संख्या 1 से 11 तक बदलकर संशोधित

(अतुल सिंह)  
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०  
इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)  
इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 सम्मिलित है।

## पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल

संख्या-इज्जतनगर/65

### रोशनपुर स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि :

लागू तिथि :

पुनरीक्षण तिथि :

”बी” श्रेणी इकहरी लाइन अन्तर्पाशित मानक-I, बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलो सहित  
( MACL )

### पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधा० एवं सहा० नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (क), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii), देखें)

टिप्पणी:1 संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/65 दिनांक 13.12.2006 को निरस्त करके  
निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये।

ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

#### 1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी०एस०टी०ई०/कान/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER / IZN / RHN / SIP / 2006/VER-ZERO Alt. “ C ” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 4 दिनांक 4.1.2006 आल्टरेशन ‘सी’ दिनांक 4.2014 संलग्न है जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है । दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

#### 2. स्टेशन का विवरण :

##### 2.1. सामान्य ( स्थिति ) :

रोशनपुर स्टेशन रामनगर - मुरादाबाद मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन मुरादाबाद से 18.38 किलोमीटर तथा रामनगर से 48.18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

##### 2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

अलीगंज (पूर्व दिशा में) :- 09.66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

पीपलसाना (पश्चिम दिशा में) :- 09.66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

**पूर्वोत्तर रेलवे**  
**इज्जतनगर मण्डल**

संख्या-इज्जतनगर/65

**रोशनपुर स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम**  
**(बड़ी लाइन)**

जारी तिथि :  
लागू तिथि :  
पुनरीक्षण तिथि :

”बी” श्रेणी इकहरी लाइन अन्तर्पाशित मानक-I, बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलो सहित  
( MACL )

**पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित**

(साधा० एवं सहा० नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (क), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii), देखें)

**टिप्पणी:**1 संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/65 दिनांक 13.12.2006 को निरस्त करके  
निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये।

ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

1. **स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :**

सी०एस०टी०ई०/कान/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER / IZN / RHN / SIP / 2006/VER-ZERO Alt. “ C ” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 4 दिनांक 4.1.2006 आल्टरेशन ‘ बी ’ दिनांक 3.11.11 संलग्न है जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है । दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. **स्टेशन का विवरण :**

2.1. **सामान्य ( स्थिति ) :**

रोशनपुर स्टेशन रामनगर - मुरादाबाद मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन मुरादाबाद से 18.38 किलोमीटर तथा रामनगर से 48.18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. **दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :**

**अलीगंज (पूर्व दिशा में) :-** 09.66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

**पीपलसाना (पश्चिम दिशा में) :-** 09.66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(अतुल सिंह )

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/65

रोशनपुर

(i) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-**

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच० तथा आई०बी०एस० नहीं है।

(ii) **बाहरी साइडिंगें :-** कोई नहीं।

(iii) **हाल्ट स्टेशन :-**

(क) पदियानगला हाल्ट रोशनपुर-पीपलसाना ब्लाक खण्ड में इस स्टेशन से 4.73 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(ख) जालपुर हाल्ट रोशनपुर-पीपलसाना ब्लाक खण्ड में इस स्टेशन से 4.50 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.3. **स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खण्ड :**

स्टेशनो के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है।
रोशनपुर-अलीगंज	अप शंटिंग लिमिट बोर्ड (रोशनपुर)	डाउन शंटिंग लिमिट बोर्ड (अलीगंज)
रोशनपुर- पीपलसाना	डाउन शंटिंग लिमिट बोर्ड (रोशनपुर)	अप शंटिंग लिमिट बोर्ड (पीपलसाना)

2.4 **ढलान ( ग्रेडियेन्ट ) यदि कोई हो :**

(क) पीपलसाना की ओर चेनेज 172 से 347 तक 400 में 1 का अधोगामी ढलान तथा चेनेज 380 से आगे 500 में 1 का अधोगामी ढलान है।

2.5 **अभिन्यास (ले-आउट) :**

अभिन्यास 2 लाइनों का है तथा दोनों लाइन सं० 1 व 2 रनिंग लाइने है।

2.5.1(क) **परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

रनिंग लाइन सं०	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
1	671.20 मीटर	रेल लेवल प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
2	671.14 मीटर	रेल लेवल प्लेटफार्म वाली मेंन लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या-2, मेन लाइन है। लाइन संख्या 1 व 2 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के आक्यूपाईड / बाधित तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रूप में दिया हुआ है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच० तथा आई०बी०एस० नहीं है।

(ii) बाहरी साइडिंगें :- कोई नहीं।(iii) हाल्ट स्टेशन :-

(क) पदियानगला हाल्ट रोशनपुर-पीपलसाना ब्लाक खण्ड में इस स्टेशन से 4.73 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(ख) जालपुर हाल्ट रोशनपुर-पीपलसाना ब्लाक खण्ड में इस स्टेशन से 4.50 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.3. स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है।
रोशनपुर-अलीगंज	अप शंटिंग लिमिट बोर्ड (रोशनपुर)	डाउन शंटिंग लिमिट बोर्ड (अलीगंज)
रोशनपुर- पीपलसाना	डाउन शंटिंग लिमिट बोर्ड (रोशनपुर)	अप शंटिंग लिमिट बोर्ड (पीपलसाना)

2.4 ढलान ( ग्रेडियेन्ट ) यदि कोई हो :

(क) पीपलसाना की ओर चेनेज 172 से 347 तक 400 में 1 का अधोगामी ढलान तथा चेनेज 380 से आगे 500 में 1 का अधोगामी ढलान है।

2.5 अभिन्यास (ले-आउट) :

अभिन्यास 2 लाइनो का है तथा दोनों लाइन सं० 1 व 2 रनिंग लाइने है।

2.5.1(क) परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

रनिंग लाइन सं०	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
1	671.20 मीटर	रेल लेवल लेटफार्म वाली लूप लाइन
2	671.14 मीटर	मैन लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या-2, मेन लाइन है। लाइन संख्या 1 व 2 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के आक्यूपाईड / बाधित तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रूप में दिया हुआ है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.5.2. अपरिचालित लाइने, एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी०एस०आर०) : कोई नहीं ।

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में असामान्य बातें : कुछ नहीं ।

2.6 समपार फाटक :

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

गेट संख्या	श्रेण	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पा - शित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
<b>परिचालन समपार फाटक</b>							
18	सी	डाउन शॉटिंग लिमिट बोर्ड और कौटा सं० 23 के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
18A	बी	डाउन शॉटिंग लिमिट बोर्ड और कौटा सं० 23 के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
<b>इंजीनियरिंग समपार फाटक</b>							
			कोई नहीं				

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट "क" देखें

3. संचालन की पद्धति एवं साधन :

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों अलीगंज तथा पीपलसाना से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है ।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	जिनके पास चाबी रखना है	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टोकेन यन्त्र अलीगंज तथा पीपलसाना स्टेशन से अलग-अलग सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क)(घ), 14.02, से 14.08, 14.10 से 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है । सहा० नियम 14.02(V), साधा० नियम 14.04 तथा साधा० एवं सहा० नियम 14.13 देखें ।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

#### 4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन ((Signalling & Interlocking) की पद्धति :

##### 4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :

रोशनपुर स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-I बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1 एवं 2 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है।

##### प्रदत्त सिगनल :

##### (क) अप आगमन सिगनल (पीपलसाना से )

- i) अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए-12 होम सिगनल संख्या 12 के संकेतों पर आधारित।
- ii) अप होम सिगनल संख्या-12 लाइन संख्या-1 के लिये बॉया जंक्शन इंडिकेटर सहित
- iii) अप होम सिगनल संख्या-12 लाइन संख्या-2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित

##### (ख) अप प्रस्थान सिगनल (अलीगंज को )

- i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या-4 बी लाइन संख्या-1 से
- ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या-4 ए लाइन संख्या-2 से

##### (ग) डाउन आगमन सिगनल (अलीगंज से ) :

- i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए-1 होम सिगनल संख्या 1 के संकेतों पर आधारित।
- ii) डाउन होम सिगनल संख्या-1 लाइन संख्या-1 के लिये बॉया जंक्शन इंडिकेटर सहित
- iii) अप होम सिगनल संख्या-1 लाइन संख्या-2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित

##### (घ) डाउन प्रस्थान सिगनल ( पीपलसाना को ) :

- i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-3 बी लाइन संख्या-1 से
- ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-3 ए लाइन संख्या-2 से

**शंट सिगनल :-** कोई नहीं

**रिपीटर :-** कोई नहीं

4.1.1(क) सभी कॉटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कॉटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है। कॉटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु थम्ब स्विच प्रदत्त हैं। आगमन एवं प्रस्थान के लिये पृथक-पृथक चार रूट बटन भी दिये गये हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल हैं।

(एम०पी०सिंह )  
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर



- (ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पंक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जैक्शन संकेतक दिये गये हैं। जैक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पंक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रुट इंगित करेगीं।
- (घ) मेन लाइन प्रस्थान सिगनल का हरा संकेत तथा लूप लाइन प्रस्थान सिगनल का पीला संकेत अगले ब्लाक सैक्शन में जाने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ये संकेत ब्लाक यन्त्र की "ट्रेन गोइंग टू" दशा से नियन्त्रित है।
- (ङ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। जब तक यह चाबी लगाकर घुमायी न जाये, काँटों एवं संकेतकों के थम्ब स्विचों का प्रचालन अथवा रुट बटनों का दबाया जाना कोई परिणाम नहीं देगा। यह चाबी कार्यरत स्टेशन मास्टर के निजी अभिरक्षा में रहनी चाहिए।
- (च) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल थम्ब स्विच को मध्य स्थिति में करके तथा सम्बन्धित रुट बटन दबाकर सिगनलों को "आन" स्थिति में वापस कर सकता है।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

#### 4.1.1 काँटा थम्ब स्विच संकेत :-

स्टेशन मास्टर के पैनल पर थम्ब स्विच के ऊपर काँटों के सामान्य अथवा विपरीत स्थिति में पूर्णतया सैट एवं लाक होने के संकेत क्रमशः 'एन' अथवा 'आर' के रूप में दिये गये जो क्रमशः सामान्य स्थिति में सूक्ष्म छोटा सफेद प्रकाश तथा रिवर्स स्थिति में छोटा हरा प्रकाश प्रकाशित होता है। ऐसे काँटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। काँटा थम्ब स्विच के केन्द्र में एक छोटा लाल प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि काँटे विद्युतीय रूप से लाक हो गये हैं। ऐसी स्थिति में थम्ब स्विच को काँटों को प्रचालित करने हेतु नहीं घुमाना चाहिए।

#### 4.1.2 ट्रैक सर्किटिंग :-

परिचालित लाइन संख्या 1 तथा 2 ट्रैक सर्किटेड है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर सम्बन्धित लाइन के ट्रैक सर्किट भाग को अतिरिक्त मोटी रंगी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब ट्रैक सर्किटेड भाग आक्यूपाइड / वफल होता है तब पैनल पर इस भाग पर सूक्ष्म लाल प्रकाश जलेगा। इन ट्रैक सर्किटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रैक सर्किट रिक्त होने का सुनिश्चय भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

#### 4.1.3 स्टॉप प्लग :-

थम्ब स्विच स्टाप प्लग पैनल के प्लग स्टोरेज स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल या काँटा थम्ब स्विचों के एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचलन को रोकना हो तो इन प्लगों को थम्ब स्विचों के पास प्रदत्त छेदों में लगा देना चाहिए। ये प्लग स्टेशन मास्टर के लिये अनुस्मारक का कार्य करेगी।

#### 4.1.4 रूट बटन :-

पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल स्विच व रूट बटन एक साथ घुमाने व दबाने पर सिगनल आफ हो जाता है। होम सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल आफ करने के लिये अलग-अलग रूट बटन है।

#### 4.1.5 स्थाई रूप से ताला बन्द काँटे/पृथक्करण (आइसोलेशन) : कुछ नहीं।

#### 4.1.6 विद्युत चालित काँटा मशीन/क्रैंक हैण्डिल :-

- (क) काँटा संख्या- 21 तथा 23 मोटर चालित काँटें हैं तथा प्रत्येक काँटें पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये काँटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते हैं। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैंक हैण्डिल सी०एच०-1 द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इस दशा में काँटों को सम्मुख एवं अनुमुख दोनों दशाओं में ठीक ढंग से सेट एवं होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। क्रैंक हैण्डिल के प्रचालन हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट “ख” का पैरा 8 व 9 तथा साधारण नियम 3.38 (क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39 (ii) देखें।
- (ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैण्डिल द्वारा परिचालित काँटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम संख्या	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डिल निकालने का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/65

रोशनपुर

- 4.2 **रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति** - इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इंटर लाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेमा. एवं S&T) द्वारा बन्द किया जाना चाहिये। इसकी आवश्यकता पडने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी सौंपें।
- 4.3 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)** - इस स्टेशन पर सिगनलो को प्रकाशित करने के लिए सामान्यतः एक IPS का प्रावधान है। जिसकी बैट्री Commercial Light/जनरेटर की सप्लाई से चार्ज होती है। केवल सिगनल लाइट की विफलता के समय जनरेटर स्टार्ट करके सिगनल प्रकाशित किये जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में IPS विफल होने पर सम्पूर्ण पैनल विफल हो जायेगा। **(विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख का पैरा 13 में देखें)**
- 4.4 **वीडर काउन्टर :-** स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर प्रदत्त हैं :-
1. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (ई०यू०वाई०एन०)(EUYN)।
  2. क्रेक हैण्डल वीडर काउन्टर
- जब सम्बन्धित स्विच जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च डिजिटल संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या की वीडर काउन्टर रजिस्टर में अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाय।
5. **दूरसंचार :** स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्न टेलीफोन प्रदत्त हैं :-
- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
  - ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
  - iii) अलीगंज स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
  - iv) पीपलसाना स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
  - v) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 18A/बी से सम्बन्ध टेलीफोन
  - vi) वी०एच०एफ० सैट
- (संचार व्यवस्था में विफलता हेतु परिशिष्ट 'ख' के पैरा 11A देखें)
6. **गाड़ी संचालन :**
- गाड़ियों का आगमन और प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41, (I) (ख),(2), 3.42 तथा 8.03(20, 8.10, 8.12 , 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा और आगमन तथा प्रस्थान सिगनल आफ किये जायेगे।
- 6.(1) **गाड़ियों का आगमन :**
- जब परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-
- (क) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
  - (ख) अप एवं डाउन गाड़ी आगमन के लिये गेट संख्या 18A/बी को बन्द एवं लाक करायें। स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/65

रोशनपुर

**4.2 रिले कक्ष की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने-देने की कार्य पध्दति :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इंटरलाकिंग की रिले लगी हुई है रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पॉजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी उन्हें सौंपनी चाहिए।

**4.3 विद्युत आपूर्ति :-**

विद्युत आपूर्ति के साधन, लोकल पावर सप्लाई (राज्य विद्युत बोर्ड), डीजल जनरेटर एवं इंटिग्रेटेड पावर सप्लाई (आई०पी०एस०) है। आई०पी०एस० के इंडिकेशन, कार्य विधि तथा विफलता होने पर की जाने वाली कार्यवाही के विस्तृत विवरण हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 (क) तथा 13 (ख) देखें।

**5. दूरसंचार : स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्न टेलीफोन प्रदत्त हैं :-**

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) अलीगंज स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- iv) पीपलसाना स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 18A/बी से सम्बन्ध टेलीफोन
- vi) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्यप्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' के पैरा 11A में दिये गये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।)

**6. गाड़ी संचालन :**

गाड़ियों का आगमन और प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41, (I) (ख),(2), 3.42 तथा 8.03(20, 8.10, 8.12, 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा और आगमन तथा प्रस्थान सिगनल आफ किये जायेगे।

**6.(1) गाड़ियों का आगमन :**

जब परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख) अप एवं डाउन गाड़ी आगमन के लिये गेट संख्या 18A/बी को बन्द एवं लाक करायें। स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।

(अतुल सिंह )

(के०एस०सोनाल )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/65

रोशनपुर

- (ग) सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच को सम्बन्धित लाइन हेतु वाँछित स्थिति में घुमायें। जब काँटे जैसा वाँछित हो, सेट हो जायेंगे, काँटा थम्ब स्विचों के ऊपर सफेद/हरा संकेत प्रकाशित हो जाना चाहिये जो इंगित करेगा कि काँटे किस स्थिति में (नार्मल अथवा रिवर्स) सैट एवं लाक है।
- (घ) सम्बन्धित सिगनल थम्ब स्विच को वाँछित स्थिति में घुमायें तथा सम्बन्धित रूट बटन को भी दबायें। तब सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच के केन्द्र में लाल बत्ती (लाक लाइट) प्रकाशित होगी जो इस बात का द्योतक होगी कि काँटे वाँछित दिशा में विद्युतीय रूप से पाशित हो गये हैं। यह इंगित करने के लिये कि सिगनल “आफ” है, पैनल पर सिगनलों के आफ आस्पैक्ट प्रकट हो जायेंगे अर्थात् सिगनलों की बत्तियाँ जल जायेगी।
- (ड.) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ गयी है तथा काँटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया है, पीछे के कांटों को तुरन्त ही अवरूद्ध लाइन के विपरीत सेट करें। क्रासिंग की स्थिति में अवरूद्ध लाइन के दोनों ओर के कांटों को तुरन्त ही विपरीत सेट करें एवं लाइन साफ हो जाने पर काँटों एवं सिगनल थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर दे।
- (च) गाड़ी के द्वारा इन ट्रेक सर्किटों का अभिधारण होने पर ट्रेक आक्यूपैन्सी बत्ती लाल जल जानी चाहिए और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिए।

#### 6.1. गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, काँटावाला एवं फाटकवाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ‘घ’ में दिया गया है।

#### 6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :

##### दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

##### सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

#### 6.1.2 लाइनों का क्लीयेरेन्स सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

#### 6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध (अलग) रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे। (सहायक नियम 5.01(19) परि० नियमावली का पैरा 3003 देखें)

(अतुल सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

**6.2. लाइन क्लीयर देने की शर्तें :**

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो ।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिग्नल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो
- (ग) लाइन, यार्ड में आती हुयी गाड़ी के निकटतम छोर के शंटिंग लिमिट बोर्ड तक साफ न हो ।

**6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें -****6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना**

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

**6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन**

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

**6.2.1.3 बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-**

यहाँ कोई बिना सिग्नल वाली लाइन नहीं है।

**6.2.1.4 बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-**

इस स्टेशन पर कोई बिना सिग्नल वाली लाइन नहीं है।

**6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-**

इस स्टेशन पर कोई कॉमन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

**6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :-**

कोई नहीं ।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/65

रोशनपुर

**6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :**

सिगनलों को तब तक 'आफ' नहीं किया जायेगा जब तक कि -

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी को लेना है, साफ और बाधा रहित होनी चाहिए तथा इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर के पैनल पर उपलब्ध न हो।
  - (ख) सभी सम्मुख कॉटे, जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट तथा पाशित न कर दिये गये हों।
  - (ग) सभी अनुमुख कॉटे, जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट न कर दिये गये हों।
  - (घ) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सभी अवरोधों से मुक्त तथा अनुमुख कॉटो के आगे शॉटिंग लिमिट बोर्ड तक साफ न हो
  - (ङ) अप अथवा डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 या 2 में लेते समय गेट संख्या 18A/बी को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित न कर दिया गया हो।
- (साधा० एवं सहा० नियम 3.40 (1) (ख)(3) (क) एवं (4) तथा सहा० नियम 3.40(1) देखें)

**6.3.1 "आफ" किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का**

**उत्तरदरायित्व :-**

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

**6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की क्रॉसिंग तथा प्राथमिकता देना :-**

1. गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।
  2. सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रॉसिंग की अनुमति है।
  3. किसी भी गाड़ी को रोककर उसी दिशा की अन्य गाड़ी पर प्राथमिकता की अनुमति है।
- (साधारण नियम 5.01(14) देखें)

**6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-**

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि दिन में गाड़ी के पीछे लगा एल०वी०बोर्ड /रात्रि में फ्लूशर टाइप टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है।
- (ख) रुकने वाली अप गाड़ियों के सम्बन्ध में ट्रैफिक गेट संख्या 18A/B पर कार्यरत गेटमैन का यह कर्तव्य होगा कि वह गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे एल०वी०/फ्लूशर टेल लैम्प को देखने के बाद गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को अपने प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर बताये एवं दोनों अपनी-अपनी लाग बुक में इसकी प्रविष्टि करे। अप गाड़ी अपूर्ण आने एवं डाउन गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर, गाड़ी के गार्ड से इस उद्देश्य हेतु कार्यरत कर्मचारी द्वारा भेजे गये ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर टी/1410 पर पूर्ण आगमन रिकार्ड करायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक ब्लाक यन्त्र पर लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाता है। (साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

(अतुल सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

### 6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि,

- (क). अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करे। डाउन गाड़ियों के मामले में गेट सं० 18A/बी पर कार्यरत गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करे। गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा।
- (ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी रता बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) गाड़ी के प्रस्थान हेतु मार्ग सेट करने के लिये सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच को वाँछित स्थिति में घुमायें।
- (ङ) प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विच को वाँछित स्थिति में घुमाए तथा सम्बन्धित रूट बटन को दबायें। तब उस मार्ग पर सफेद / पीला प्रकाश प्रकट होगा। प्रस्थान सिगनल का आफ संकेत प्रदर्शित होगा जो पैनल पर दिखायी देगा। इसके पश्चात प्रस्थान प्राधिकार गाड़ी के चालक को दे दिया जायेगा।
- (च) गाड़ी के द्वारा ट्रैक सर्किटों का अभिधारण (आक्यूपाई) होने पर सम्बन्धित ट्रैक सर्किट के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बत्ती (लाल) जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर इनको साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये तथा सफेद बत्ती जल जानी चाहिए।
- (छ) यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा काँटों एवं उल्लघन चिन्हों को साफ कर दिया गया है, काँटों एवं सिगनल थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर दे।

### प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें :

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो तथा मार्ग के साफ एवं बाधा रहित होने का संकेत पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ग) डाउन गाड़ियों के प्रस्थान के लिये समपार फाटक 18A/बी को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित कर दिया गया है तथा गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर मिल गया हो।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर



### 6.6.1 सतर्कता आदेश (T-409) जारी करना :

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरो जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्टेशन से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनो पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशो के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा ।

(साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

### 6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :

(क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतः मुख्य लाइन संख्या 2 से बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। इन मामलों में चालक को प्रस्थान प्राधिकार लाइन पिक अप उपस्कर पर ही दिया जाना चाहिए।

(ख) यदि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या 1 से बिना रुके सीधे जाय तो इसकी अनुमति नियमानुसार प्रतिबन्धित गति से दी जा सकती है। ऐसे मामलों में चालक को प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन भवन के सामने से दिया जाना चाहिए। होम सिगनल थम्ब स्विच तथा प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विच को भी प्रचालित कर देना चाहिए परन्तु प्रस्थान सिगनल आफ संकेत तभी धारण करेगा जब ट्रैक सर्किट 01T/01AT अप /डाउन गाड़ियों जैसा भी स्थिति हो, द्वारा आक्यूपाइड हो गया हो। प्रस्थान सिगनल आफ करने के बाद पीला संकेत धारण करेगा।

(ग) कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगे बढ़ो संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिए जो गाड़ी कू को स्पष्ट दिखायी दे और स्टेशन के एक कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जानी चाहिए।

(घ) जब प्लेटफार्म रहित लाइन पर कोई यात्री गाड़ी खड़ी हो तों प्लेटफार्म लाइन से कोई भी गाड़ी बिना रुके सीधे नहीं जायेगी। सहायक नियम 5.01(14)(iv) देखें।

### 6.8. विफलता के दौरान कार्य पध्दति :

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (11) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें ।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन व रात में अनवरत जलाये जाये। स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों का प्रकाशित होना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 में उल्लिखित कार्य विधि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

#### 6.9 लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचालन के लिये विशेष अनुदेश :

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा ।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा । गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है ।  
साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

#### 7. लाइन अवरूध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

- 1 स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा।  
तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
- 2 उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा ।

(अतुल सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं0 इज्जत/65

रोशनपुर

3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

#### 7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बाँध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खड़ा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी0एस0आर0 तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-

(अतुल सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/65

रोशनपुर

- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित **(आपरेट)** किये जाने चाहिये।
- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित **(आपरेट)** किये जाने चाहिये।

साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

#### 8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

##### 8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक शन्टिंग :- निम्न शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-
- i) जिस ब्लाक खण्ड में शंटिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो।
  - ii) सभी सम्बन्धित होम सिगनल "आन" स्थिति में हों।
  - iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
  - iv) चालक को शंटिंग लिमिट बोर्ड पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु शंटिंग आदेश टी-806 दिया जाय।
- (ख) प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग :
- निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-
- i) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों।
  - ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
  - iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
  - iv) चालक को शंटिंग लिमिट बोर्ड पार करने हेतु शंटिंग आदेश टी-806 के साथ-साथ टोकन भी दिया जाना चाहिये।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.2. **आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग :** (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बन्धित होम सिगनल को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है ।
- (ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर शंटिंग लिमिट बोर्ड तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
  - होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों ।
  - सम्बन्धित होम सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
  - गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

8.3. **जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :**

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- चालक को शंटिंग लिमिट बोर्ड पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत करते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु ब्लाक बैक करके लिखित अनुमति T-806 प्रपत्र पर दी जाय ।

**नोट :** स्टेशन मास्टर पैनल पर इंडिकेशन देखकर सिगनलों के आन एवं आफ आस्यैक्ट सुनिश्चित करें ।

8.4.1. **शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :**

- जो लाइन पृथक नहीं है, उसपर आने वाली गाड़ी के लिये जब सिगनल "आफ" कर दिये गये हो, तो उन कॉटों की ओर जिन से आने वाली गाड़ी गुजरेगी, कोई शन्टिंग संचालन नहीं किया जायेगा। (सहायक नियम 8.10(2) देखें)
- रोलर बीयरिंग स्टाक की शंटिंग करते समय निम्न सावधानियाँ बरती जायें :-
- घने कोहरे एवं धुन्ध में स्टेशन सैक्शन के बाहर शंटिंग की अनुमति नहीं है ।
- जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक की शन्टिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संघटक गति (Impact Speed) प्रति घंटा 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
- जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड़ में, पाँच वाहनो की शन्टिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संघटक गति (Impact Speed) 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

**8.4.2. शंटिंग का कोई विशेष पहलू :**

(क) पीपलसाना की ओर शंटिंग करते समय मार्ग में पड़ने वाले यार्ड के गेट संख्या 18A/बी को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द कराने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शंटिंग प्रभारी की है।

(ख) **शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-**

1. शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
2. सही-सही बैगनों/ वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
3. शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखाना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii) )

**8.5. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग :**

इस स्टेशन पर कोई साइडिंग लाइन नहीं हैं।

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लाइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि हो तो :** कुछ नहीं।

**9. असामान्य परिस्थितियाँ :**

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया** ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/बी०एस०एन०एल०फोन या कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये। (साध० एवं सहा० नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

**टिप्पणी :**

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-

- (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।
  - (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
  - (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
  - (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड काँटों पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।
4. लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में अवरोधित ब्लाक खण्ड में टी-ए/602 प्रस्थान आदेश जारी किया जायेगा।
5. ब्लाक खण्ड में रुकी हुई गाड़ियों के मामले में सहायक नियम 6.04(1)(क) तथा सहायक नियम 6.09(1)(2)(3) का अनुपालन किया जायेगा।
- 9.(ख) कैन्क हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-  
परिशिष्ट 'ख' के पैरा 8 एवं 9 वे वर्णित विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 9.(ग) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-  
यहाँ कॉलिंग आन सिगनल नहीं है।

(रितेश गुप्ता )  
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9.(घ). काँटों, ट्रैक सर्किट/ एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना : संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 12 को देखें।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन या बी०एस०एन०एल०फोन
- (ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
- (च) वी० एच० एफ० सेट

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक / प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर



(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को “आन” स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2.	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए ‘सशर्त लाइन क्लीयर संदेश’ प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

**टिप्पणी :**

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीअर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

#### 4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियाँ :

(क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीअर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।

#### 9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा।

विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

#### 9.4. विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश

(क) स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई (आई०पी०एस०) सिस्टम का प्रावधान किया गया है जिससे सभी सिगनल प्रकाशित होते हैं। आई०पी०एस० की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुअल आई०पी०एस० प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है। आई०पी०एस० बोर्ड पर प्रकाशित इंडिकेशन का विस्तृत विवरण एवं विफलता होने पर की जाने वाली कार्यवाही के लिये परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 (क) एवं 13 (ख) में उल्लिखित विधि का अनुपालन किया जाय।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ख) स्टेशन मास्टर प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचालन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेंगे। स्टेशन मास्टर निम्न प्रारूप पर डीजल तेल का उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ ही साथ रखेंगे।

1. व्यवसायिक विद्युत (कमर्शियल पावर ) विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम संख्या	तिथि	IPS की चार्जिंग समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे	

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
-------------	--------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------	---------

- (ग) डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत आदि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इन्दराज करें।

(घ) स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-

आई०पी०एस० मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखें एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करें अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेंगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगा।

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

(क) अप छोर :

दिन एवं रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 3A का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(ख) डाउन छोर :

दिन एवं रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या 4A का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें ।

12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम :

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी ।

(एम०पी०सिंह )  
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

13. परिशिष्टों की सूची :

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति

परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट "ङ" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(एम०पी०सिंह )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर

(जवाहर राम )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

( जवाहर राम)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

**परिशिष्ट "घ"**

**1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अर्न्तगत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य**

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय और केबिनो तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्ट्रों एवं अन्य रजिस्ट्रो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
7. मार्शलिंग यार्ड, रिपैकिंग शेड, गुड्स शेड, पार्सल कार्यालय और बुकिंग कार्यालय का आवधिक निरीक्षण।
8. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
9. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
10. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।

(ख) जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी परिचालन कार्य भी करना है, तब सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।

11. इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेडी०/स्टेमा०, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ कोचिंग यार्ड और कोचिंग स्टाफ का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
12. कार्यरत स्टेमा०की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कौंटों की विफलता में फेसिंग एवं ट्रेलिंग दोनो ही स्थिति में इसकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करे।(सहायक नियम 3.39(ii) )

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

**2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :**

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है

1. यार्ड, कौंटों, सिगनलों, कौंटा संकेतकों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका तथा ग्लाज़ड केस की चाबी को व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कौंटों की विफलता में फेसिंग एवं ट्रेलिंग दोनों ही स्थिति में इसकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करे।(सहायक नियम 3.39(ii) )

(के०एस०सोनाल)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)  
इज्जतनगर

### 3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

#### गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना ।
2. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
3. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
5. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
7. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
8. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
9. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-**
  - i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
  - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
10. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
11. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

### 4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत गेट मैन् के कर्तव्य

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के विस्तृत विवरण के लिये परिचालन नियमावली के अध्याय 3 को देखें।)

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर



इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 सम्मिलित है।  
स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/65

रोशनपुर

## परिशिष्ट 'ड'

### स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- |    |  |                                   |
|----|--|-----------------------------------|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती (बैट्री चालित)<br>( K-Oil) | - 05<br>- 02 (गेट सं० 18A/B हेतु) |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी                            | - 04 हरी तथा 08 लाल               |
| 3. | पटाखा सिगनल                                | - 50                              |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे                             | - 04 तालो सहित                    |
| 5. | क्लैम्प                                    | - 06 तालो सहित                    |
| 6. | अग्निशामक यंत्र(डी०सी०पी० टाइप)            | - 02                              |
| 7. | फायर बकेट                                  | - 06                              |
| 8. | प्राथमिक चिकित्सा पेटी                     | - 01                              |
| 9. | लकड़ी के गुटके                             | - 04                              |

(जे०ए०आजमी)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)  
इज्जतनगर

## परिशिष्ट 'ड'

### स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

1. हाथ सिगनल बत्ती (बैट्री चालित) - 04  
( K-Oil) - 02 (गेट सं० 18A/B हेतु)
2. हाथ सिगनल झण्डी - 04 हरी तथा 08 लाल
3. पटाखा सिगनल - 50
4. सुरक्षा जंजीरे - 04 तालो सहित
5. क्लैम्प - 04 तालो सहित
6. अग्निशामक यंत्र(डी०सी०पी० टाइप) - 02
7. फायर बकेट - 06
8. प्राथमिक चिकित्सा पेटी - 01
9. लकड़ी के गुटके - 04

(के०एस०सो नाल)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)  
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

( जवाहर राम)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

संचालन नियम सं० इज्जत/65

रोशनपुर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

जवाहर राम)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर